राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः—एफ 13/1/3/वि.पं./वीएस/डीईएस/2015/I/55017/2016 दिनांकः— 08-08-2016

जिला नोडल अधिकारी
(विवाह पंजीयन) एवं
उप/सहायक निदेशक,
राजस्थान

विषयः— राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राज्य में अनुष्ठापित विवाहों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। आमजन को विवाह पंजीकरण में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु निम्न निर्णयों द्वारा विवाह पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करावें:—

(i) वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष से कम होने पर आवेदक के दस्तावेजों की पूर्ण जांच के पश्चात् पंजीयक की संतुष्टि पर विवाह का पंजीयन किया जा सकता है। परन्तु साथ ही विवाह पंजीयक को ऐसे पक्षकारों के माता पिता/संरक्षक एवं अन्य के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत वांछित कार्यवाही करने हेतु जिला विवाह पंजीयन अधिकारी (जिला कलेक्टर) को सूचित किया जाना भी वांछनीय है।

(ii) विधवा/विधुर के विवाह पंजीकरण हेतु अनुष्ठापित हुए विवाह के जिस पक्ष की मृत्यु हो चुकी है उसके माता—पिता अथवा संरक्षक द्वारा शपथ पत्र तथा विवाह सम्पन्न के सम्बन्ध में सम्पूर्ण साक्ष्य यथा— विवाह को अनुष्ठापित करवाये जाने वाले धार्मिक व्यक्ति या विवाह का कार्ड एवं स्वतंत्र गवाह के शपथ पत्रों के आधार पर विवाह का पंजीयन कर विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

उपरोक्त प्रक्रिया विवाह पंजीयन के नियमों के अस्तित्व में आने तक ही मान्य होगी।

भवदीय,

(ओम प्रकाश बैरवा)
महारजिस्ट्रार (विवाह) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः—एफ 13/1/3/वि.पं./वीएस/डीईएस/2015/I/55017/2016 दिनांकः—08-08-2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. जिला कलेक्टर एवं विवाह पंजीयन अधिकारी.......................................

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव